<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा।</u>

राज्य प्रति जुल्फकार आदि।

वाद सं.–586/2018

<u>आरोप</u>

मैं प्रीती मोगा न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा आप अभियुक्तगण जुल्फकार, हाफिजुल, नाजिम व इमरान पर निम्न आरोप आरोपित करती हूँः–

1– यह कि दिनांक–09.02.17 को समय करीब 05.00 बजे ग्राम फरीदनगर, तह. ठाकुरद्वारा, जिला–मुरादाबाद में आपने वादी मुकदमा के परिजनों को लात घूंसों व लाठी, डंडो से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा के परिजनों को गन्दी–गन्दी गालियां दी। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादनी मुकदमा के साथ रिष्टि कर और तद्द्वारा पचास हजार रुपये या उससे अधिक रिष्टि की हानि कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो कि भा0दं0सं0 की धारा–427 के तहत दण्डनीय अपराध है और जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः मैं एतद्वारा निर्देश देतीं हूँ कि उपरोक्त आरोपों पर आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–11.10.19

(प्रीती मोगा)
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिनसे अभियुक्तगण ने इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनॉक–11.10.19

(प्रीती मोगा)
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।